# सोशल मीडिया पर वायरल की जाने वाली आपत्तिजनक वीडियो/पोस्ट के सम्बन्ध में सहारनपुर पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरीः–

- सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाटसएप, टविट्र, फेसबुक इंस्टाग्राम आदि का उपयोग गलत तरीके से ना करें।
- बिना पुष्टि किये किसी भी खबर को साझा ना करें।
- ऐसी किसी भी विवादित वीडियो/पोस्ट को वायरल न करें जिससे किसी की धर्म व जाति को लेकर भावनाएं आहत होती हों।
- ऐसी किसी भी खबर/विवादित वीडियो/पोस्ट को कभी भी शेयर ना करें जिससे आपसी माहौल बिगडने व शान्ति भंग होने की संभावना हो।
- अपने फ्रेंड सर्किल का चयन बेहतर तरीके से करें जिन्हे आप भली भांति जानते हैं उन्हे ही अपने ग्रुप में शामिल करें।
- ग्रुप में अनावश्क बहस करने से बचें व किसी अनजान व्यक्ति से अपनी पर्सनल जानकारी शेयर ना करें।
- ग्रुप एडमिन अपने ग्रुप पर नजर रखें यदि कोई व्यक्ति विवादित ब्यान अथवा आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसे तुरन्तं ग्रुप से हटा दें।
- यदि कोई व्यक्ति बार बार कोई आपत्तिजनक टिप्पणी आपसे शेयर करता है तो इसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस चौकी अथवा थाने पर दें।
- किसी भी प्रकार की विवादित खबर/वीडियो आदि को वायरल करने में शामिल होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

**नोटः–** सोशल मीडिया प्लेटफार्म को नियम के विरूद्ध प्रयोग करने पर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये एन0एस0ए0 तक की कठोर कार्यवाही की जायेगी।

# प्रेस विज्ञप्ति

## सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो/पोस्ट वायरल करने वालो पर की जायेगी एन0एस0ए0 तक की कठोर कार्यवाही:–

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया व्हाटसएप, टविट्र, फेसबुक, इनस्टाग्राम आदि प्लेटफार्म पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा भडकाऊ भाषण जिसमें धर्म, जाति आदि को लेकर भडकाऊ वीडियो अथवा पोस्ट वायरल की जाती है। जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पंहुचती है तथा माहौल बिगडने एवं शान्ति भंग होने की संभावना बनी हो तो उसमें ग्रुप एडमिन एंव वायरल करने वाले के विरूद्व एन0एस0ए0 तक की कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी प्रायः देखने में आ रहा है कि अज्ञात तत्वों द्वारा चार से पांच साल पुरानी भडकाऊ वीडियो/पोस्ट को माहौल विगाडने/शान्ति भंग के इरादे से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अनुरोध किया गया है कि यदि कोई इस प्रकार का वीडियो/पोस्ट किसी के संज्ञान में आता है तो वायरल न करें उसे तत्काल पुलिस अधिकारी को अवगत करायें उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी अगर किसी के द्वारा उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है तो उसमें ग्रुप एडमिन और उससे जुडे सभी व्यक्ति जिम्मेदार होंगे उन पर एन0एस0ए0 तक की कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसलिए ग्रुप एडमिन ध्यान रखें यदि ऐसा कोई व्यक्ति ग्रुप में है जो विवादित पोस्ट डालता है उस पर तत्काल कार्यवाही कराएं।

# प्रेस नोट दिनांक 26–07–2021

**थाना नकुड पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–**

दिनांक 25–07–2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा तहसील से आगे गली में कस्बा नकुड से अभि0 जिशान पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 सादलगंज थाना नकुड, सहारनपुर को पर्चा सटटा मय 1500/रूपये नकद सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 295/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

**थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :–**

दिनांक 25–07–2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा ग्राम रवासोली से अभि0 ओमपाल पुत्र राधेश्याम निवासी रवासोली थाना बेहट, सहारनपुर को 10 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 367/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

**मीड़िया/सोशल मीड़िया**
**सेल**
**जनपद सहारनपुर।**